कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 337/विकास कार्य/नि0सू0/2025–26 दिनांक 23/09/25

ई–निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों /फर्मो, जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार नीचे वर्णित कुल 06 विकास कार्यो को करने हेतु निविदा फार्म/बिल ऑफ क्वानटिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु ई–निविदा दिनांक 06.10.2025 करे अपरान्ह् 02.00 बजे तक **uktenders.gov.in** की वैबसाइट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते है। प्राप्त ई निविदओं को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 06.10.2025 को सांय 03.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जायेगा। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे–आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ.डी.आर./सी.डी.आर/एन.एस.सी. के रुप में होगी तथा अधिशासी अभियन्ता, म.दे.वि. प्रा. के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तो के अनुसार अन्य अभिलेख के साथ उक्त वैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा मूल प्रति उक्त तिथि दिनांक 06.10.2025 को अपरान्ह् 02.00 बजे तक प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ.डी.आर. व निविदा मूल्य का ड्राफ्ट जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नही किया जायेगा। अन्य शर्ते निविदा प्रपत्र जी.पी.डब्लू.–09 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या 1197/II(2)/07–75(सामान्य)/ II दिनांक 24–02–2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की वैधता 90 दिन मान्य रहेगी। **नियम व शर्त–सफल निविदादाता द्वारा उनके द्वारा किये गये निम्नलिखित कार्य का रखरखाव कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त 05 वर्षो तक स्वंय से किया जायेगा।**

क0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में) बिना जी0एस0टी0	धरोहर राशि (रु0)	निविदा मूल्य मय जी0एस0टी0 सहित (रु0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह)	निविदा की वैधता (दिन)
1	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत मुख्य मार्ग से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मोथरोवाला तक सी0सी0 सड़क व पुस्ते का निर्माण कार्य	55.08	1,65,000	4720	06	90

(हस्ताक्षर)

2	धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं0 84 बंजारावाला में मोनाल इन्क्लेव के सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	46.50	1,40,000	3540	06	90
3	रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत भगत सिंह कॉलोनी में सामुदायिक केन्द्र का अवशेष कार्य	38.60	1,16,000	2950	06	90
4	रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वाणी विहार में सामुदायिक केन्द्र का अवशेष कार्य	27.70	83,100	2360	06	90
5	डोईवाला विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली फार्म हर्रावाला में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य	130.20	3,90,600	4720	10	90
6	राजीव गाँधी काम्पलैक्स के पंचम तल में कार्यालय का निर्माण कार्य	57.63	1,30,200	3540	06	90

अधिशासी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

<u>नियम एवं शर्ते :–</u>

1– जिन ठेकेदारों/फर्मो को पूर्व से प्राधिकरण के किसी भी अनुभाग में किसी भी प्रकार के 02 विकास कार्य आवंटित हुये हो, वह कार्य अनुबंध की प्रकिया में हो अथवा गतिमान हो, वह ठेकेदार/फर्म उन 02 कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त ही निविदा में भाग ले पायेगा।

2–एक फर्म/ठेकेदार को एक बार में 02 ही कार्य आवंटित किये जायेंगे। 02 कार्य आवंटित होने के उपरान्त वह ठेकेदार आवंटित 02 कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त ही आगे निविदा में भाग लेगा।

3–किसी भी फर्म/ठेकेदार की 02 निविदा खुल जाने के उपरान्त यदि उस ठेकेदार की अन्य कार्यो में निविदा पायी जाती है तो उसे सम्मिलित नही किया जायेगा।

4–uktender.gov.in एवं mddaonline.in की वैबसाईट व दैनिक समाचार पत्र पर विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् प्राधिकरण में यदि कोई फर्म पंजीकृत होता है तो वह फर्म उपरोक्त कार्यो में प्रतिभाग नही कर पायेगा।

5–निविदा के साथ मूल रुप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्मिलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :–

- निविदा वैद्यता के सम्बन्ध में, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में , निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में, no dues के सम्बन्ध में, रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रु0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराईज्ड़ हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्रत्येक ठेकेदार को प्राधिकरण में आवंटित कार्यो/निर्माणाधीन कार्यो अथवा वर्तमान में कोई कार्य आवंटित न होने/निर्माणाधीन न होने का उल्लेख उक्त शपथ पत्र में करना अनिवार्य होगा।

6–उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2)17.20(सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी।

7–प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।

8–ई–निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को वेबसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाईयों हेतु प्राधिकरण जिम्मदेार नही होगा।

प्रतिलिपिः–

1–सचिव, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

2–वित नियंत्रक, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

3–मुख्य अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

4–अधिशासी अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

5–नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचांई विभाग के नोटिस बोर्डो पर चस्पा हेतु।

6–नाजिर, म.दे.वि.प्रा. को इस आशय से प्रेषित व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलबध करायेंगे।

7–आई.टी. अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

8–प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

9–सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।

अधिशासी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।